संख्या-19/2021/478 ई-2/तेरह-2021-75/2005

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 25 फरवरी, 2021

विषय- **मेसर्स सिम्भावली शुगर्स लि., यूनिट-चिलवरिया आसवनी, जिला-बहराइच को पेय मदिरा के उत्पादन हेतु पेय क्षमता स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-83/दो-प्रा.डी.-98, दिनांक 12 फरवरी 2021 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19.02.2021 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-517 ई-2/तेरह-2021-75/2005 दिनांक 23.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त संदर्भित पत्र दिनांक 12.02.2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स सिम्भावली शुगर्स लि., यूनिट-चिलवरिया आसवनी, जिला-बहराइच को पूर्व में स्वीकृत औद्योगिक अधिष्ठापित क्षमता 180 लाख ली. वार्षिक के अंतर्गत 45 लाख ली. वार्षिक पेय क्षमता स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत आसवनी द्वारा पेय मदिरा निर्माण से पूर्व उत्तर प्रदेश आबकारी(आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-2(5)(ज)(झ) में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आसवनी द्वारा उ.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आसवनी चलाये जाने हेतु प्राप्त कन्सेन्ट में औद्योगिक अल्कोहल के साथ-साथ पेय मदिरा उत्पादन किये जाने की सहमति भी पेय मदिरा निर्माण से पूर्व प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in